रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1390] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 16, 2017/वैशाख 26, 1939
No. 1390] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 16, 2017/VAISAKHA 26, 1939

गृह मंत्रालय

(आन्तरिक सुरक्षा-I प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मई, 2017

का.आ. 1575(अ).—जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 11 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 01 सितम्बर, 2010 की अधिसूचना संख्या का. आ. 2159(अ) द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय, शिमला को उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के प्रयोजनार्थ, हिमाचल प्रदेश में अधिसूचित अपराधों के विचारण के क्षेत्राधिकार से युक्त विशेष न्यायालय के तौर पर अधिसूचित किया था;

और जबकि, श्री पियार सिंह राणा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिन्हें भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 23 नवम्बर, 2012 की अधिसूचना सं. का.आ. 2780(अ), द्वारा उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया गया था, सेवानिवृत्त हो गए हैं;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 23 नवम्बर, 2012 की अधिसूचना संख्या का. आ. 2780 (अ) का अधिक्रमण करते हुए, सिवाय उन बातों को छोड़कर जो ऐसे अधिक्रमण के पूर्व कर दी गई हों या करने हेतु छोड़ दी गई हों, माननीय मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश, शिमला की सिफारिश पर, श्री विरेन्द्र सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिमला को उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने हेतु न्यायाधीश के तौर पर एतद्वारा नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17011/50/2009-आईएस-IV]

सुधीर कुमार सक्सेना, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(INTERNAL SECURITY-I DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th May, 2017

S.O. 1575(E).—Whereas in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government had, vide notification number S.O. 2159(E), dated the 1st September 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), notified the Court of District and Sessions Judge, Shimla as the Special Court for the purposes of sub-section (1) of section 11 of the said Act having jurisdiction throughout the State of Himachal Pradesh for the trial of Scheduled Offences;

And whereas, Shri Piar Singh Rana, District and Sessions Judge, who was appointed as the Judge to preside over the said Special Court vide notification number S.O. 2780(E), dated the 23rd November, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), has retired from service;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 11 of the said Act and in supersession of the notification number S.O. 2780(E), dated the 23rd November, 2012, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, on the recommendation of the Hon'ble Chief Justice of the High Court of Himachal Pradesh, Shimla, hereby appoints Shri Virender Singh, District and Sessions Judge, Shimla, as the Judge to preside over the said Special Court.

[F. No. 17011/50/2009-IS-IV]

SUDHIR KUMAR SAXENA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मई, 2017

का.आ. 1576(अ).—जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 11 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 29 अप्रैल, 2011 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 29 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना संख्या का. आ. 951(अ) के द्वारा सिलीगुड़ी स्थित वरिष्ठतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय को उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के प्रयोजनार्थ, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी तथा कूच बिहार जिलों में अधिसूचित अपराधों के विचारण के क्षेत्राधिकार से युक्त विशेष न्यायालय के तौर पर अधिसूचित किया था;

और जबकि, श्री अजय कुमार दास, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम न्यायालय, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग जिन्हें दिनांक 23 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 23 जनवरी, 2017 की अधिसूचना सं. का.आ. 224(अ) द्वारा उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया गया था, का स्थानातंरण हो गया है;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 23 जनवरी, 2017 की अधिसूचना संख्या का. आ. 224(अ) का अधिक्रमण करते हुए, सिवाय उन बातों को छोड़कर जो ऐसे अधिक्रमण के पूर्व कर दी गई हों या करने हेतु छोड़ दी गई हों, माननीय मुख्य न्यायाधीश, कोलकाता उच्च न्यायालय की सिफारिश पर, श्री शांतनु झा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, द्वितीय न्यायालय, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग को उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता हेतु न्यायाधीश के तौर पर एतद्द्वारा नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17011/50/2009-आईएस- IV]

सुधीर कुमार सक्सेना, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th May, 2017

S.O. 1576(E).—Whereas in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government had, vide notification number S.O. 951(E), dated the 29th April, 2011, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 29th April, 2011, notified the Court of the Seniormost Additional District and Sessions Judge at Siliguri as the Special Court for the purposes of sub-section (1) of section 11 of the said Act having jurisdiction within the Districts of Darjeeling, Jalpaiguri and Cooch Bihar of the State of West Bengal for the trial of Scheduled Offences;

And whereas, Shri Ajay Kumar Das, Additional District and Sessions Judge, 1st Court, Siliguri, Darjeeling, who was appointed as the Judge to preside over the said Special Court vide notification number S.O. 224(E), dated the 23rd January, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 23rd January, 2017, has been transferred;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 11 of the said Act and in supersession of the notification number S.O. 224(E), dated the 23rd January, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, on the recommendation of the Hon'ble Chief Justice of the High Court of Calcutta, hereby appoints Shri Santanu Jha, Additional District and Sessions Judge, 2nd Court, Siliguri, Darjeeling, as the Judge to preside over the said Special Court.

[F. No. 17011/50/2009-IS-IV]

SUDHIR KUMAR SAXENA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2017.05.19 21:59:06 +05'30'